Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में आबकारी थाना का एस.आई. (जमादार) 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज मंगलवार हनुमानगढ़ में कार्यवाही करते हुये होशियार सिंह एस.आई. (जमादार) थाना आबकारी, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके लाईसेंसशुदा शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में होशियार सिंह एस.आई. (जमादार) थाना आबकारी, जिला हनुमानगढ़ द्वारा 2 हजार रुपये मासिक बन्धी के हिसाब से 6 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री विजेन्द्र कुमार सीला** एवं उनकी टीम के साथ हनुमानगढ़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये होशियार सिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाट निवासी ग्राम पोस्ट करणपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ हाल एस.आई. (जमादार) थाना आबकारी, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से 5 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत के 1 हजार रुपये वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।